राजस्थान सरकार
संसदीय कार्य विभाग

परिपत्र

विषय:— भारतीय संविधान को अंगीकृत करने के 70 वर्ष पूर्ण होने के उपलब्ध में 15वीं राजस्थान विधान सभा के तृतीय सत्र में दिनांक: 29.11.2019 को सदन में उपस्थिति के संबंध में।

इस विभाग के समस्ततक परिपत्र दिनांक 26.11.2019 के असरसर में निदेशानुसार समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिवगण को 15वीं राजस्थान विधानसभा के दिनांक 28 नवम्बर, 2019 को प्रारम्भ हुए तृतीय सत्र में दिनांक 29.11.2019 को प्रातः 11:00 बजे से सदन की कार्यवाही स्थगित होने तक सदन में स्थित शासकीय दीर्घाँ में उपस्थित रहना आवश्यक है।

अतः दिनांक 29.11.2019 को प्रातः 11:00 बजे से सदन की कार्यवाही स्थगित होने तक उपर्युक्तानुसार उपस्थिति सुनिश्चित करने का अभ्यास करें।

प्रमुख शासन सचिव

समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव /
प्रमुख शासन सचिव एवं शासन सचिवगण।

प्रतिलिपि निम्नान्तर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रमुख सचिव/सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. विशेष सहायक, मा० मंत्री महोदय, संसदीय कार्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. वरिष्ठ उप सचिव, मा० मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
5. प्रोग्रामर, विभिन्न विभिन्न कार्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव